प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

द्वितीय अपील सं. 213/2009

निर्णय सुरक्षित रखा गया : 18/01/2021

निर्णय पारित किया गया : 16/02/2021

सावित्री जायसवाल, पिता– स्वर्गीय श्री बिहारीलाल जायसवाल, आयु– 57 वर्ष, निवासी– दयालबंद, बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

---अपीलार्थी/वादिनी

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. (क) श्रीमती सरोज जायसवाल, पति– स्वर्गीय श्री संजय जायसवाल, आयु– 30 वर्ष

   (ख) कु. स्वीटी जायसवाल, स्वर्गीय श्री संजय जायसवाल की अप्राप्तवय पुत्री, आयु– 09 वर्ष

   (ग) बाबू, स्वर्गीय श्री संजय जायसवाल का अप्राप्तवय पुत्र, आयु– 06 वर्ष

   (घ) गुड़िया, स्वर्गीय श्री संजय जायसवाल की अप्राप्तवय पुत्री, आयु– 03 वर्ष

   1.(ख) से 1.(घ) तक, द्वारा– माता श्रीमती सरोज जायसवाल, विधिक संरक्षक, पति– स्वर्गीय श्री संजय जायसवाल, निवासी– दयालबंद, बिलासपुर, तहसील व जिला–बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

2. श्री विजय जायसवाल, पिता– स्वर्गीय श्री बजरंग प्रसाद जायसवाल, आयु– 30 वर्ष

3. अजय जायसवाल, पिता– स्वर्गीय श्री बजरंग प्रसाद जायसवाल, आयु– 22 वर्ष

4. जय जायसवाल, पिता– स्वर्गीय श्री बजरंग प्रसाद जायसवाल, आयु– 20 वर्ष

5. मृत्युंजय जायसवाल, पिता– स्वर्गीय श्री बजरंग प्रसाद जायसवाल, आयु– 18 वर्ष

6. श्रीमती मीरा देवी, पति– स्वर्गीय श्री बजरंग प्रसाद जायसवाल, आयु– 64 वर्ष

7. श्रीमती तारा देवी, पति– स्वर्गीय श्री बिहारीलाल जायसवाल, आयु– 65 वर्ष

8. श्री रामेश्वर प्रसाद जायसवाल, पिता– स्वर्गीय श्री बिहारीलाल जायसवाल, आयु– 42 वर्ष

9. श्रीमती अलका जायसवाल, पति– स्वर्गीय श्री मोहनलाल जायसवाल, आयु– 45 वर्ष

10. राहुल जायसवाल, पिता– स्वर्गीय श्री मोहनलाल जायसवाल, आयु– 25 वर्ष

11. रतन बिहारी जायसवाल, पिता– स्वर्गीय श्री मोहनलाल जायसवाल, आयु– 20 वर्ष

सभी निवासी– दयालबंद, बिलासपुर, तहसील व जिला– बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

12. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा– कलेक्टर, बिलासपुर, जिला– बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

––– उत्तरवादी/ प्रतिवादी

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री एम. डी. शर्मा, अधिवक्ता
उत्तरवादी सं. 1 से 5 की ओर से	:	श्री शक्तिराज सिन्हा, अधिवक्ता
उत्तरवादी सं.6 की ओर से	:	श्री मनोज परांजपे एवं श्री अनुराग सिंह, अधिवक्ता
प्रतिवादी सं. 7 से 11 की	:	सुश्री मीना शास्त्री, अधिवक्ता
राज्य की ओर से	:	श्री रवि भगत, उप महाधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल

सी. ए. वी. निर्णय

1. अपीलार्थी/वादिनी द्वारा प्रस्तुत इस द्वितीय अपील को विधि के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न निर्मित कर 15.07.2015 को सुनवाई में लिया गया :–

> "क्या दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 में निहित उपबंधों के अनुसार विकृत हैं?"

[एतस्मिन पश्चात् पक्षकारों को विचारण न्यायालय के समक्ष उनकी दी गई स्थिति और दर्शाया गई श्रेणी के अनुसार संदर्भित किया जाएगा।]

2. बिलासपुर के ग्राम चांटिडीह स्थित खसरा सं. 27/1 की 1.84 एकड़ तथा खसरा सं. 26/5 की 1.04 एकड़ क्षेत्रफल की भूमि, अर्थात् कुल 2.88 क्षेत्रफल की भूमि की वाद संपत्ति मूल रूप से बिहारीलाल जायसवाल के स्वामित्व में थी।

3. अभिलेख पर यह स्वीकृत स्थिति है कि भगवनतिन बाई बिहारीलाल जायसवाल की विधिक रूप से विवाहित पत्नी थी, जिसके साथ उसका एक पुत्र था जिसका नाम बजरंग प्रसाद था। उत्तरवादी सं. 1 से 5 बजरंग प्रसाद के पुत्र हैं और उत्तरवादी सं. 6 बजरंग प्रसाद की विधवा है।

4. वादिनी का प्रकरण यह है कि वह भी बिहारीलाल जायसवाल की पुत्री है, जो अपनी माता प्रतिवादी सं. 7 तारा देवी के साथ उसके रिश्ते से पैदा हुई थी और इस तरह, बिहारीलाल जायसवाल की पुत्री होने के नाते, प्रतिवादियों के साथ–साथ वह भी वाद संपत्ति में एक तिहाई हिस्से की हकदार है तथा प्रतिवादियों को रोकने के लिए निषेधाज्ञा पारित किया जाना चाहिए और वैकल्पिक रूप से, प्रतिवादी सं. 1 से 3 को वाद संपत्ति के व्ययन से रोका जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. वाद का विरोध करते हुए, प्रतिवादी सं. 1 से 6 ने अपना लिखित कथन प्रस्तुत कर स्पष्ट रूप से अभिवाक् किया कि प्रतिवादी सं. 7 बिहारीलाल जायसवाल की रखैल/दासता पत्नी थी, ऐसे में बिहारीलाल जायसवाल और प्रतिवादी सं. 7 तारा देवी के मध्य कभी कोई विवाह नहीं हुआ था, और यह तथ्य कि बिहारीलाल जायसवाल ने 18/09/1964 को प्रतिवादी सं. 7 से 11 के पक्ष में एक वसीयत (प्र. D/1–C) भी निष्पादित किया था जिसमें यह स्पष्ट रूप से अभिवाक् किया गया है कि प्रतिवादी सं. 7 बिहारीलाल जायसवाल की दासता पत्नी है। प्रतिवादी सं. 1 से 6 द्वारा यह अभिवाक् किया गया था कि वादिनी का वाद संपत्ति पर कोई अधिकार, स्वामित्व और हित नहीं है और वाद खारिज किए जाने योग्य है।

6. विद्वान विचारण न्यायालय ने पक्षकारों के अभिवचनों पर विचार करने के बाद, 10 विवाद्यक तैयार किया और अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद 27/10/2007 दिनांकित निर्णय व डिक्री के माध्यम से यह अभिनिर्धारित करते हुए वाद को खारिज कर दिया गया कि वाद संपत्ति, बिहारीलाल जायसवाल की स्व–अधिग्रहित संपत्ति होने के कारण, केवल प्रतिवादी सं. 1 से 6 उसके उत्तराधिकारी हैं और प्रतिवादी सं. 7 से 11 उत्तराधिकारी नहीं हैं और बिहारीलाल जायसवाल ने प्रतिवादी सं. 7 के पक्ष में एक वसीयत विलेख (विल डीड) निष्पादित किया था, परन्तु वादिनी उसकी अवैध (नाजायज) पुत्री है इसलिए वह उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी होने की हकदार नहीं है।

7. वादिनी द्वारा अपील किए जाने पर, प्रथम अपीली न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पुष्टि करते हुए 13.10.208 दिनांकित आक्षेपित निर्णय व डिक्री के माध्यम से वादिनी की अपील को

खारिज कर दिया, जिसके विरुद्ध सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अधीन यह द्वितीय अपील अपीलार्थी/वादिनी द्वारा प्रस्तुत की गई है जिसमें विधि का एकमात्र महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किया गया है जो निर्णय के शुरुआती कण्डिका में वर्णित है।

8. अपीलार्थी/वादिनी के विद्वान अधिवक्ता श्री एम. डी. शर्मा निवेदन करते हैं कि दोनों निचले न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में पूरी तरह से अन्यायपूर्ण हैं कि वादिनी बिहारीलाल जायसवाल की अवैध पुत्री है और वह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 की अनदेखी करते हुए बिहारीलाल जायसवाल की संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं होगी, जो कि पूरी तरह से विकृत है। ऐसे में, दोनों निचले न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किए जाने योग्य हैं तथा द्वितीय अपील स्वीकार किए जाने योग्य है। वे **भाऊराव शंकर लोखंडे व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य**[1], **पी. ई. के. कल्लियानी अम्मा बनाम के. देवी**[2], तथा **भारत संघ बनाम वी. आर. त्रिपाठी**[3] के मामलों में सर्वोच्च न्यालालय द्वारा दिए गए निर्णयों का अवलंब लेते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. श्री शक्तिराज सिन्हा एवं श्री मनोज परांजपे, उत्तरवादी सं. 1 से 6 तक के विद्वान अधिवक्ता, निवेदन करते हैं कि नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने समवर्ती रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि बिहारीलाल जायसवाल और प्रतिवादी सं. 7 तारा देवी के मध्य कभी कोई विवाह नहीं हुआ था, अतः उनके अवैध और व्यभिचारी संबंध से पैदा होने तथा बिहारीलाल जायसवाल की अवैध पुत्री होने के नाते वादिनी मूल रूप से बिहारीलाल जायसवाल के स्वामित्व वाली वाद संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं होगी जो अभिलेख पर उपलब्ध साक्षय के आधार पर तथ्यों का एक शुद्ध और सरल निष्कर्ष है। वे यह भी तर्क करते हैं कि वादपत्र में इस तथ्य के संबंध में कोई अभिवचन बिल्कुल भी निहित नहीं है और अभिलेख पर कोई साक्षय उपलब्ध नहीं है कि किसी भी समय, प्रतिवादी सं. 7 का विवाह बिहारीलाल जायसवाल के साथ अनुष्ठापित हुआ था अतः हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 आकृष्ट नहीं होगी और यद्यपि वादिनी बिहारीलाल जायसवाल की अवैध पुत्री है, परन्तु वह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 के उद्देश्य के लिए वैध पुत्री नहीं होगी, ऐसे में, इस संबंध में दोनों निचले न्यायालयों द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए दर्ज किया गया निष्कर्ष कि वादिनी बिहारीलाल जायसवाल की अवैध पुत्री हैं और इस तरह, वह उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं होगी, अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों और विधि के सही मूल्यांकन पर आधारित है। वे आगे तर्क करते हैं कि वादिनी को प्रतिवादी सं. 7 की बिहारीलाल जायसवाल के साथ उसके अवैध संबंध से पैदा हुई अवैध पुत्री अभिनिर्धारित करने वाले विचारण न्यायालय के निष्कर्ष के विरुद्ध, पहली अपीली न्यायालय के समक्ष प्रति–आपत्ति दायर की गई थी जिसे 13.10.2008 दिनांकित

1 AIR 1965 SC 1564

2 AIR 1966 SC 1963

3 AIR 2019 SC 666

आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है और इस न्यायालय के समक्ष भी, प्रतिवादी सं. 7 से 11 द्वारा प्रति–आपत्ति दायर की गई थी जिसे भी इस न्यायालय द्वारा 19.08.2020 दिनांकित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है। ऐसे में, दोनों निचले न्यायालयों द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए अभिलिखित निष्कर्ष कि बिहारीलाल जायसवाल की अवैध पुत्री होने के नाते, वादिनी का बिहारीलाल जायसवाल की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है, अंतिम हो गई है तथा यह द्वितीय अपील खारिज किए जाने योग्य है।

10. प्रतिवादी सं. 7 से 11 तक की विद्वान अधिवक्ता सुश्री मीना शास्त्री निवेदन करती हैं कि 18/09/1964 दिनांकित विल (वसीयत) विलेख (प्र. D/1–C) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 (c) सहपठित धारा 68, भारतीय साक्षय अधिनियम, 872 के अनुसार साबित नहीं हुआ है और अन्यथा भी, दोनों न्यायालयों द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि वादिनी बिहारीलाल जायसवाल की अवैध पुत्री है, अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों और विधि के विपरीत है, इसलिए वर्तमान अपील स्वीकार की जानी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, उनके ऊपरोक्त तर्क–वितर्कों पर पर विचार किया है और अत्यंत सावधानी के साथ अभिलेखों का परिशीलन किया है।

12. वाद संपत्ति बिहारीलाल जायसवाल की स्व–अर्जित संपत्ति है जो अभिलेख पर एक स्वीकृत स्थिति है जो दोनों निचले न्यायालयों द्वारा भी पाया गया है। वादिनी दावा करती है कि वह बिहारीलाल जायसवाल की पुत्री है जिसका जन्म प्रतिवादी सं. 7 तारा देवी के साथ बिहारीलाल जायसवाल के विवाह से हुआ था। अभिलेख पर यह भी स्वीकृत स्थिति है कि भगवन्तिन बाई बिहारीलाल जायसवाल की विधिक रूप से विवाहित पत्नी थी जिसके साथ उसका एक पुत्र था जिसका नाम बजरंग प्रसाद था और प्रतिवादी सं. 1 से 6 बजरंग प्रसाद के विधिक उत्तराधिकारी हैं। यह प्रतिवादी सं. 1 से 6 का प्रकरण है कि प्रतिवादी सं. 7 तारा देवी बिहारीलाल जायसवाल की रखैल/दासता पत्नी थी और उनकी शादी कभी भी नहीं हुई थी, और ऐसे में, वादिनी प्रतिवादी सं. 7 के साथ बिहारीलाल जायसवाल की नाजायज पुत्री होने के कारण, वाद संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं होगी।

13. विद्वान विचारण न्यायालय ने विवाद्यक सं. 2 और 6 तैयार किए और विचार करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रतिवादी सं. 7 का विवाह कभी भी बिहारीलाल जायसवाल के साथ नहीं हुआ था और उनके अवैध संबंध से वादिनी का जन्म हुआ था, इस प्रकार, वादिनी बिहारीलाल जायसवाल की अवैध पुत्री है अतः वह बिहारीलाल जायसवाल की संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं होगी और उस निष्कर्ष की पुष्टि पहली अपीली न्यायालय ने की थी। इस द्वितीय अपील में तैयार किया गया विधि का एकमात्र गौण प्रश्न हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 पर आधारित है।

14. इस स्तर पर, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 को संदर्भित किया जा सकता है, जिसमें कहा गया है :

> **"16. शून्य और शून्यकरणीय विवाहों के अपत्यों की धर्मजता** –(1) इस बात के होते हुए भी कि धारा 11 के अधीन विवाह अकृत और शून्य है, ऐसे विवाह का ऐसा अपत्य धर्मज होगा, जो विवाह के विधिमान्य होने की दशा में धर्मज होता चाहे ऐसे अपत्य का जन्म विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारंभ से पूर्व या उसके पश्चात् हुआ हो और चाहे उस विवाह के संबंध में अकृतता की डिक्री इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई हो या नहीं और चाहे वह विवाह इस अधिनियम के अधीन अर्जी से भिन्न आधार पर शून्य अभिनिर्धारित किया गया हो या नहीं।
>
> (2) जहां धारा 12 के अधीन शून्यकरणीय विवाह के संबंध में अकृतता की डिक्री मंजूर की जाती है वहां डिक्री की जाने से पूर्व जनित या गर्भाहित ऐसा कोई अपत्य, जो यदि विवाह डिक्री की तारीख को अकृत किए जाने की बजाय विघटित कर दिया गया होता तो विवाह के पक्षकारों का धर्मज अपत्य होता, अकृतता की डिक्री होते हुए भी उनका धर्मज अपत्य समझा जाएगा।
>
> (3) उप–धारा (1) या उप–धारा (2) में निहित किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह विवाह के किसी ऐसे अपत्य को, जो अकृत और शून्य है या जिसे धारा 12 के अधीन अकृतता की डिक्री द्वारा अकृत किया गया है, उसके माता– पिता से भिन्न किसी व्यक्ति की सम्पत्ति में या सम्पत्ति के लिए कोई अधिकार किसी ऐसी दशा में प्रदान करती है जिसमें कि यदि वह अधिनियम पारित न किया गया होता तो वह अपत्य अपने माता–पिता का धर्मज अपत्य न होने के कारण ऐसा कोई अधिकार रखने या अर्जित करने में असमर्थ होता।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. अधिनियम की धारा 16 को लागू करके, विधायिका द्वारा बनाई गई विधिक कल्पना यह है कि बच्चे, यद्यपि अवैध हैं, फिर भी उन्हें वैध माना जाएगा, इसके बावजूद कि विवाह शून्य या शून्यकरणीय था। विधिक कल्पना की मंशा विशेष रूप से विधायिका द्वारा एक सामाजिक सुधार लाने की थी और ऐसे में अधिनियम की धारा 16 में संशोधन की मंशा शून्य/ शून्यकरणीय विवाह से पैदा हुए बच्चे को अपमानित

करने से बचाना और एक निर्दोष बच्चे जिसे अपने माता–पिता की गलती के लिए पीड़ित नहीं होना चाहिए, को वैधता का दर्जा देना है ।

16. हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 की उप–धारा (1) में निहित उपबंधों के परिशीलन से पता चलता है कि विवाह से पैदा हुए बच्चे जो धारा 11 के अधीन शून्य हैं, वैध होंगे, परन्तु उप–धारा (1) के अनुसार वे अपने माता–पिता के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। उक्त अधिनियम की धारा 16 (1) केवल तभी लागू हो सकती है जब उक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन विवाह शून्य हो। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 11 निम्नानुसार है:–

> **"11. शून्य विवाह – इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् अनुष्ठापित कोई भी विवाह,** यदि यह धारा 5 के खंड (i), (iv) और (v) में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी एक का भी उल्लंघन करता हो तो, अकृत और शून्य होगा और विवाह को किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध उपस्थापित अर्जी पर अकृतता की डिक्री द्वारा ऐसा घोषित किया जा सकेगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपरोक्त प्रावधान के वाचन से यह स्पष्ट है कि यह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रारंभ के बाद होने वाले विवाहों पर लागू होगा। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 16 (1) सभी शून्य विवाहों से पैदा हुए बच्चों की सहायता नहीं करेगी जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है। धारा 11 केवल 18/05/1955 से प्रभावी हिंदू विवाह अधिनियम के प्रारंभ के बाद अनुष्ठापित विवाह उपबंधित करता है और उससे संबंधित है।

17. मद्रास उच्च न्यायालय, ने **सुब्बाराय पिल्लई उर्फ सुब्बाराय मन्थिरी व अन्य बनाम लक्ष्मीम्मल व अन्य**[4] के मामले में अभिनिर्धारित किया कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 की उप–धारा (1) के अनुसार, जब विवाह अधिनियम की धारा 11 के अधीन अकृत और शून्य है, केवल तभी ऐसे विवाह के किसी भी बच्चे को वैध माना जा सकता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम की धारा 11 केवल अधिनियम के प्रारंभ के बाद अनुष्ठापित विवाहों पर लागू होती है। इसलिए, धारा 16 केवल उन विवाहों पर लागू होगी जो 1955 में अधिनियम लागू होने के बाद हुए थे और पूर्व के विवाहों पर नहीं।

18. अतः हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 (1) का लाभ प्राप्त करने हेतु, यह लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा यह अभिवाक् किया जाना और साबित किया जाना होगा कि–

(i) पक्षकारों के मध्य विवाह अनुष्ठापित हुआ है और वह ऐसे विवाह से पैदा हुई संतान है,

---

4 (1993) 2 L.W. 559

और

(ii) ऐसा विवाह 18/05/1955 से प्रभावी हिंदू विवाह अधिनियम के लागू होने के बाद अनुष्ठापित किया गया है।

19. **पी. ई. के. कल्लियानी अम्मा** (पूर्वोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतियों ने अभिनिर्धारित किया है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 में समाहित विधिक कल्पना को दृष्टिगत रखते हुए, अपने माता– पिता की सम्पत्ति के उत्तराधिकार सहित अन्य सभी व्यावहारिक उद्देश्यों हेतु अधर्मज अपत्यों को धर्मज माना जाएगा।

20. **व्ही. के. त्रिपाठी** (पूर्वोक्त) के मामले में अपने हाल ही के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि द्वितीय विवाह से जनित अपत्य धर्मज है तथा अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्र है। माननीय न्यायाधिपतियों द्वारा निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:–

> "13. धारा 16 की उप–धारा (1) में, विधायिका ने निर्धारित किया है कि विवाह से पैदा हुआ बच्चा जो धारा 11 के अधीन शून्य है, वैध है, भले ही जन्म 1976 के संशोधन अधिनियम 68 के प्रारंभ से पहले या बाद में हुआ हो। उस विवाह से पैदा हुए बच्चे की वैधता, जो शून्य है, सार्वजनिक नीति का विषय है ताकि इस तरह के विवाह से पैदा हुए बच्चे को बुरे परिणाम भुगतने से बचाया जा सके। इसलिए, यद्यपि विवाह शून्य हो सकता है, फिर भी विवाह से पैदा हुए बच्चे को धारा 16 की उप–धारा (1) द्वारा धर्मज (वैध) माना जाता है। धारा 11 के साथ पठित धारा 5 के खंड (i) के अधीन जिन आधारों पर विवाह शून्य है, उनमें से एक यह है कि विवाह का अनुबंध तब किया गया है जब एक पक्ष का जीवनसाथी विवाह के समय जीवित था। अतः पहली शादी के निर्वाह के दौरान एक हिंदू द्वारा की गई दूसरी शादी शून्य है। हालाँकि, विधायिका ने इस तरह के विवाह से पैदा हुए बच्चे की वैधता की रक्षा के लिए धारा 16 (1) को लागू करके कदम उठाया है। हालाँकि, धारा 16 की उप–धारा (3) में कहा गया है कि ऐसा बच्चा जो एक ऐसे विवाह से पैदा हुआ है जो शून्य है, उसे केवल माता–पिता की संपत्ति में अधिकार होगा और माता–पिता के अलावा किसी और की संपत्ति में अधिकार नहीं होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21.1. ऐसे में, वादिनी/अपीलार्थी को, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 (1) के लाभ का दावा करने के लिए, यह अभिवाक् करने और उसे स्थापित करने की आवश्यकता थी कि उसकी माता अर्थात्

प्रतिवादी सं. 7 तारादेवी का विवाह बिहारीलाल जायसवाल के साथ अनुष्ठापित हिआ था और वह भी 18.05.1955 से प्रभावी हिंदू विवाह अधिनियम के लागू होने के बाद। वादपत्र में, वादिनी ने उनके मध्य विवाह के तथ्य के बारे में न तो उन दोनों के मध्य विवाह अनुष्ठापित होने का अभिवाक् किया है और न ही विवाह के 18/05/1955 के बाद अनुष्ठापित होने का। वादपत्र के प्रमुख कण्डिकाओं में निम्नानुसार कहा गया है :–

> "4. यह कि वादिनी स्व. बिहारी लाल की पत्नी तारादेवी के गर्भ से बिहारी लाल द्वारा उत्पन्न हुई पुत्री है। तथा प्रतिवादी क्र. 8 रामेश्वर उर्फ रमेश कुमार बिहारीलाल तथा तारादेवी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र है। तथा दूसरा पुत्र स्व. मोहनलाल था जिसकी मृत्यु सन् 1993 में हो चुकी है। वादिनी, रामेश्वर उर्फ रमेश एवं मोहनलाल से बड़ी है। प्रतिवादी क्र. 9 अलका जायसवाल, स्व. मोहनलाल की पत्नी तथा प्रति. क्र. 10 राहुल, प्रति. क्र. 11 रतनबिहारी, मोहनलाल का पुत्र है जो मोहनलाल की मृत्यु के पश्चात् उसके चलाचल संपत्ति का उत्तराधिकारी है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19.2. वादिनी (सावित्रीबाई– अ.सा.1) ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 4 के अधीन अपने कथन में कहा है कि उनका जन्म वर्ष 1952 में हुआ था जो इस प्रकार है :–

> "2. यह कि मेरी माँ तारादेवी, बिहारीलाल की विवाहित पत्नी है, वह दासता या रखैल नहीं है, तारादेवी के गर्भ से में सन् 1952 में पैदा हुई। मेरे पश्चात् तारादेवी के गर्भ से मेरे पिता बिहारीलाल के रामेश्वर और मोहनलाल 2 पुत्र पैदा हुए। मैने अपना स्कूल सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया है।"

19.3. वादिनी की माता तारादेवी जायसवाल अर्थात् प्रतिवादी सं. 7 ने अपने लिखित कथन में बिहारीलाल जायसवाल के साथ अपने विवाह के बारे में नहीं बताया, यद्यपि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 4 के अधीन प्रस्तुत शपथ पत्र में उसने कहा है कि उसका विवाह 1948 में बिहारीलाल जायसवाल

के साथ अनुष्ठापित हआ था।उसके शपथ पत्र की कण्डिका 1 और 3 में निम्नानुसार कहा गया है:

"1. यह कि हम जायसवाल कलार जाती के हिन्दू हैं। मेरे सन् 1948 में बिहारीलाल जायसवाल, बिलासपुर, के साथ अग्नि के 7 फेरे के साथ 'सप्तपदी' पूर्वक ब्राम्हण द्वारा मंत्र पाठ हवन पूर्वक हुआ था। मेरे पति बिहारीलाल जी ने मेरे मांग (शिर) में सिन्दूर भर कर फेरे (भांवर) के साथ विवाह किया था। बिहारीलाल जी और मैं पति– पत्नी थे।

3. यह कि मेरे गर्भ से बिहारीलाल की पुत्री वादिनी सावित्री का जन्म सन् 1952 में हुआ फिर रामेश्वर और मोहनलाल नाम के दो पुत्र बिहारीलाल के हुए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ऐसे में, यह स्वयं वादिनी द्वारा दिखाया गया है कि उसकी माता का विवाह 1948 में बिहारीलाल के साथ अनुष्ठापित हुआ था और उसका जन्म 1952 में हुआ था और इसके परिणामस्वरूप, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 लागू नहीं होगी, इसलिए अधिनियम की धारा 16 (1) भी लागू नहीं होगी।

22. 1. जैसा कि ऊपर देखा गया है, उसके अलावा, यह अभिनिर्धारित करने के लिए कोई अभिवाक् और प्रमाण अभिलेख पर नहीं लाया गया है कि कभी भी, प्रतिवादी सं. 7 तारादेवी का विवाह बिहारीलाल जायसवाल के साथ अनुष्ठापित हुआ था और उस कारण से, दोनों निचले न्यायालयों ने निष्कर्ष को समवर्ती रूप से अभिलिखित है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि पक्षकारों के मध्य विवाह के अनुष्ठापित होने का कोई प्रमाण नहीं होने की स्थिति में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 (1) लागू नहीं होगी, जिसे यहां लाभप्रद रूप से देखा जा सकता है।

20.2. **रामकली बनाम महिला श्यामवती**[5] के मामले में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 पर विचार करते हुए अभिनिर्धारित किया जाता है कि जब विवाह के अनुष्ठापित होने का कोई प्रमाण नहीं है और इसके अलावा कोई प्रमाण नहीं है कि यह एक वैध विवाह या यहां तक कि एक वास्तविक विवाह भी था, जहां आदत और प्रतिष्ठा के साथ पति और पत्नी के रूप में लंबे समय तक रहने के दौरान एक बच्चे का जन्म होता है, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अधीन परिकल्पित वैधानिक धारणा को उपलब्ध कराने के लिए कोई भी अवसर नहीं हो सकता है, जो एक संघ से पैदा हुए ऐसे बच्चे के पक्ष में एक वैध बच्चे का दर्जा हासिल करता है जो या तो शुरुआत से शून्य था या

5 AIR 2000 MP 288

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 11 या 12 के अधीन पारित डिक्री के अधीन ऐसा घोषित किया गया था। जहां एक लंबे समय तक आदत और प्रतिष्ठा के साथ पति और पत्नी के रूप में एक बच्चे का जन्म होता है, तो वैधानिक विवाह को उपलब्ध कराने के लिए कोई भी अवसर नहीं हो सकता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 के अधीन परिकल्पित वैधता का ऐसा अनुमान लगाने के लिए पूर्ववर्ती शर्त यह है कि वैध या वास्तविक विवाह होना चाहिए।

20.3. **इसी तरह, रेशमलाल बसवन बनाम बलवंत सिंह ज्वालासिंह पंजाबी**[6] के मामले में, यह प्रश्न कि क्या अवैध पुत्र हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की अनुसूची के साथ पठित धारा 8 के उद्देश्य के लिए 'पुत्र' नहीं है, पर विचार किया गया है और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति श्री गुलाब सी. गुप्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन मामलों में जहां विवाह के अनुष्ठापित होने का कोई प्रमाण नहीं है, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 आकृष्ट नहीं होती है। निर्णय की कण्डिका 4, 6 और 8 में कहा गया है कि :–

> "4. विवाह विधि संसोधन अधिनियम, 1976 ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 द्वारा विवाह प्रभावित बच्चों को वैधता प्रदान की। धारा 11 विवाह को शून्य घोषित करने के लिए एक प्रक्रिया प्रदान करती है यदि यह उक्त अधिनियम की धारा 5 की शर्तों में से किसी एक का उल्लंघन करता है। जिन शर्तों के अधीन विवाह को शून्य कहा जाता है, वे हैं जो उक्त अधिनियम की धारा 5 के खंड (i), (iv) और (v) में उल्लिखित हैं। विवाह के समय जीवित जीवनसाथी रखने वाले पक्षों के मध्य विवाह इस प्रावधान से प्रभावित होता है। इस प्रावधान की व्याख्या इस अर्थ में की गई है कि एक विवाह होना चाहिए, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से प्रभावित होगा और विवाह के अलावा किसी अन्य व्यवस्था से उत्पन्न संबंध को सम्मिलित नहीं करेगा। यही कारण है कि एम. मुथैया बनाम कामू व अन्य, ए. आई. आर. 1981 एन. ओ. सी. 172 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उन मामलों में जहां विवाह के अनुष्ठापित होने का कोई प्रमाण नहीं है, धारा 16 का उपबंध आकृष्ट नहीं होता है। प्रस्तुत प्रकरण में दोनों न्यायालयों ने पाया कि उत्तरवादी झुनझीबाई और मृतक बसवान के मध्य किसी भी प्रकार का विवाह नहीं हुआ था और इसलिए, यह अभिनिर्धारित करना होगा कि भले ही बसवान की मृत्यु 1976 के बाद हुई हुई थी, लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 का लाभ अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं होगा। ऐसा प्रतीत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6 1994 MPLJ 446

होता है कि यही कारण है कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा तैयार किए गए प्रश्न को गंभीरता से विरोध नहीं किया।

6. लक्ष्मी बाई (पूर्वोक्त) के प्रकरण में बॉम्बे उच्च न्यायालय का निर्णय नि:संदेह अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का समर्थन करता है। न्यायालय के विचारार्थ प्रश्न हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 (1) और 16 (3) सहपठित धारा 8, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का प्रभाव था जिसे था। यह पहले ही देखा जा चुका है कि धारा 16 विवाह की संतानों से संबंधित है, जो शून्य है। न्यायालय का मत था कि हिंदू विवाह अधिनियम का 1976 का संसोधन सामान्य नियम को हटा देता है कि उस विवाह से उत्पन्न संतान, जो अकृत और शून्य है, अधर्मज है। न्यायालय के अनुसार, यह सामान्य विधि का सिद्धांत था जो, अनिवार्य रूप से बच्चों को अपमानित करने का प्रभाव रखता था जिसके परिणामस्वरूप इस प्रावधान द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया गया है। इस संसोधन के प्रभाव को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, धारा 8, खंड (क) के संदर्भ में ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अब वैधता दिए गए अधर्मज (अवैध) बच्चों (अपत्यों) को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की अनुसूची में 'पुत्र' और 'पुत्री' के अर्थ में सम्मिलित किया जाएगा। अतः न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि महिला विधवा नहीं होगी, उसके पुत्रों और पुत्रियों को अनुसूची के साथ पठित धारा 8 में शब्द के अर्थ के भीतर सम्मिलित किया जाएगा। इस निर्णय के ध्यानपूर्वक वाचन से पता चलता है कि यह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 के 1976 के संसोधन का प्रभाव ही था जिसने अंतर पैदा किया। यदि उक्त संसोधन नहीं होता या कोई विशेष प्रकरण उक्त संसोधन द्वारा शासित नहीं होता, तो विद्वान न्यायाधीश इस रीति से निर्णय नहीं लेते। चूंकि 1976 का संसोधन इस न्यायालय के समक्ष प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होता है, इसलिए यह निर्णय अपीलार्थी के लिए सहायक नहीं हो सकता है। वस्तुतः दादू बनाम रघुनाथ, ए. आई. आर. 1976 बॉम्बे 176, संसोधन से पहले का प्रकरण है और उपबंधों पर विस्तृत विचार रखता है, कि शूद्र के अवैध पुत्रों को भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की अनुसूची में दर्शित 'पुत्र' या 'पुत्री' शब्द के अर्थ में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। विद्वान न्यायाधीश ने यह पाया था कि 1956 से पहले, एक शूद्र के वैध बच्चों को

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एक उत्तराधिकारी का दर्जा प्राप्त था अतः यह आश्चर्यजनक रूप से पाया गया कि एक अन्यथा गतिशील विधि को शूद्रों के अवैध पुत्रों के निर्विकार उत्तराधिकार अधिकारों को समाप्त कर देना चाहिए था। यह खेदजनक हो सकता है, परन्तु चूंकि यही मंशा थी, इसलिए इसे हमारे राष्ट्रीय अनुशासन के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। भावनाएँ चाहे कितनी भी प्रबल हों, न्यायिक अनुशासन की सीमाओं के उल्लंघन को उचित नहीं ठहरा सकती हैं। यह इस मुद्दे पर एक सीधा मामला होने के कारण, यदि बिल्कुल भी हो, तो इसे प्रकरण को समाप्त कर देना चाहिए।

8. फिर, यह कहना भी सही नहीं है कि 'पुत्र' शब्द को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। निःसंदेह, इसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में परिभाषित नहीं किया गया है, परन्तु हर शब्द को अधिनियम में ही परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है।सामान्य खंड अधिनियम 'पुत्र' को परिभाषित करता है और इसमें केवल गोद लिया हुआ पुत्र सम्मिलित है। यदि अधर्मज (अवैध) पुत्र को भी इस परिभाषा में सम्मिलित किया गया होता तो सामान्य खंड अधिनियम में दी गई परिभाषा में एक संबंधित संसोधन किया गया होता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20.4. **<u>खुमान बनाम बड़ेलाल</u>**[7] के मामले में, फिर से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने उपरोक्त दो पूर्व निर्णयों का अवलंब लेते हुए कण्डिका 8–क और 9 में अभिनिर्धारित किया :–

"8–क. दूसरी ओर उत्तरवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने 1994 एम. पी. एल. जे. 446 में प्रतिवेदित रेशमलाल बनाम बलवंत सिंह के प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया, जिसमें यह बताया गया था कि न तो हिंदू विधि और न ही हिंदू धर्म विवाह के अलावा किसी अन्य तरीके से बनाए गए रिश्ते की संतान को वैधता प्रदान करता है। इस तरह के रिश्ते के बच्चों को सामाजिक सम्मान भी नहीं मिलता था। जिसे इतने लंबे समय तक समाज द्वारा अनुमोदित और स्वीकार नहीं किया गया है, उसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 द्वारा समाज पर थोपा गया नहीं कहा जा सकता है। बहुविवाह को समाप्त कर संसद का इरादा अवैधता को प्रोत्साहित करने का नहीं था। यह नहीं कहा जा सकता कि पुण्य के उच्च मानक को छोड़ दिया गया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में 'पुत्र' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, परन्तु प्रत्येक शब्द को अधिनियम में ही

7 2002(2) MPLJ 39

परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य खंड अधिनियम 'पुत्र' को परिभाषित करता है और इसमें केवल 'गोद लिया हुआ पुत्र' सम्मिलित है। यदि अवैध पुत्र को भी इस परिभाषा में सम्मिलित किया गया होता तो सामान्य खंड अधिनियम में दी गई परिभाषा में संबंधित संसोधन किया गया होता।

9. 2000 (3) एम. पी. एच. टी. 514; ए. आई. आर. 2000 मध्य प्रदेश 288 में प्रतिवेदित रामकली बनाम महिला श्यामवती व अन्य के प्रकरण में इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय में, जहां विवाह के अनुष्ठापित होने का कोई प्रमाण नहीं था और इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि एक वैध विवाह या यहां तक कि एक वास्तविक विवाह भी था, जहां आदत और प्रतिष्ठा के साथ पति और पत्नी के रूप में लंबे समय तक रहने के दौरान एक बच्चे का जन्म होता है, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अधीन परिकल्पित वैधानिक धारणा को उपलब्ध कराने के लिए कोई भी अवसर नहीं हो सकता है, जो एक संघ से पैदा हुए ऐसे बच्चे के पक्ष में एक वैध बच्चे का दर्जा हासिल करता है जो या तो शुरुआत से शून्य था या हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 11 या 12 के अधीन पारित डिक्री के अधीन ऐसा घोषित किया गया था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम स्पष्ट रूप से अवैध बच्चों को वैध बच्चों के बराबर नहीं ठहराता है। विरासत और उत्तराधिकार के मामले में, दोनों बराबर नहीं थे, परन्तु अलग खड़े थे।यह अधिनियम संदर्भ में दोनों को अलग करता है और अलग करता है और अवैध उत्तराधिकार के किसी भी अधिकार से बाहर करता है, सिवाय अधिनियम की धारा 3 (1) (ञ) के परंतुक में स्पष्ट रूप से अधिनियमित सीमा के।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. उपरोक्त विधिक स्थिति के आलोक में वर्तमान प्रकरण के तथ्यों की ओर लौटने पर यह सुस्पष्ट है कि यह अभिलेख पर स्वीकार की गई स्थिति है कि भगवनतिन बाई बिहारीलाल जायसवाल की विधिक रूप से विवाहित पत्नी थी और उनके विवाह से उन्हें बजरंग प्रसाद नाम का एक पुत्र हुआ और प्रतिवादी सं. 1 से 6 बजरंग प्रसाद के विधिक उत्तराधिकारी हैं, परन्तु बिहारीलाल जायसवाल ने प्रतिवादी सं. 7 तारा देवी के साथ अवैध संबंध विकसित किए थे और उनके रिश्ते से वादिनी का जन्म हुआ था। अपने वादपत्र में वादिनी ने कहीं भी यह अभिवाक् नहीं किया है कि बिहारीलाल जायसवाल और प्रतिवादी सं. 7 के मध्य विवाह अनुष्ठापित हुआ था, यद्यपि प्रतिवादी सं. 7 ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 4 के अधीन दिए गए अपने कथन में दावा किया है कि उनके मध्य विवाह अनुष्ठापित हुआ था,

परन्तु वस्तुतः, विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उनके लिखित बयान में ऐसा कोई अभिवचन नहीं है कि अनुष्ठापित प्रतिवादी सं. 7 का बिहारीलाल जायसवाल के साथ विवाह अनुष्ठापित हुआ था।

24. दोनों निचले न्यायालयों ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और साक्षय के मूल्यांकन के बाद एक स्पष्ट और दृढ़ निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि प्रतिवादी सं. 7 (वादिनी की माता) का बिहारीलाल जायसवाल के साथ विवाह कभी भी अनुष्ठापित नहीं हुआ था, ऐसे में, वादिनी बिहारीलाल की अवैध पुत्री है और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 के अधीन धारणा आकृष्ट नहीं होगी और वादिनी, बिहारीलाल जायसवाल और प्रतिवादी सं. 7 के मध्य अवैध संबंध से पैदा होने के कारण, धारा 16 (1) के आधार पर मूल रूप से बिहारीलाल जायसवाल के स्वामित्व वाली वाद संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं होगी। अन्यथा भी, यदि वादिनी और प्रतिवादी सं. 7 के अभिवचन को सही मान लिया जाता है, तो भी, कहा जाता है कि प्रतिवादी सं. 7 (वादिनी की माता) का विवाह बिहारीलाल जायसवाल के साथ वर्ष 1948 में अनुष्ठापित हुआ था और वह भी हिंदू विवाह अधिनियम के लागू होने से पूर्व, अतः हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 लागू नहीं होगी और अधिनियम की धारा 16 (1) भी लागू नहीं होगी। परिणामस्वरूप, वादिनी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 (1) के लाभ का दावा करने की हकदार नहीं है। ऐसे में, दोनों निचले न्यायालयों द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि वादिनी बिहारीलाल जायसवाल के प्रतिवादी सं. 7 के साथ अवैध संबंध से पैदा हुई अवैध पुत्री है, अतः वह वाद संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं होगी, अभिलेख पर उपलब्ध साक्षय पर आधारित तथ्य का एक शुद्ध और सरल निष्कर्ष है जो न तो विकृत है और न ही अभिलेख के विपरीत है। मैं उक्त निष्कर्ष में कोई अवैधता या विकृति नहीं पाता हूँ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. द्वितीय अपील, सारहीन होने के कारण, खारिज किए जाने योग्य है और तदानुसार खारिज की जाती है।

26. तदानुसार डिक्री तैयार किया जाए।

सही/–
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**